



# गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय

बांसवाड़ा-327001

registrar@ggtu.ac.in

क्रमांक :- एफ 1 (1) गोगुजवि/2024/ 785

दिनांक : 13 मार्च, 2024

समस्त प्राचार्य,  
शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय,  
बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़।

- विषय :- शिक्षा संकाय पाठ्यक्रमों में अनिवार्य किये गये स्काउटिंग एवं गाइडिंग पाठ्यक्रम को सम्पूर्ण कोर्स अवधि में किये जाने बाबत।
- प्रसंग :- प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28/02/2024 के मद संख्या 14(5) में लिये गये निर्णय के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि -

1. शैक्षणिक सत्र 2023-24 से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए/बीएससी बीएड एवं दो वर्षीय बीएड के प्रथम वर्ष में स्काउटिंग एवं गाइडिंग की आधारभूत जानकारी हेतु 07 दिवसीय बेसिक कोर्स किया जाना अनिवार्य किया गया।
2. प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 28/02/2024 की मद संख्या 14(5) में लिये निर्णयानुसार उक्त अनिवार्य पाठ्यक्रम कोर्स के प्रथम वर्ष के स्थान पर सम्पूर्ण कोर्स अवधि में (चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए/बीएससी बीएड में 04 वर्षों में किसी भी वर्ष एवं दो वर्षीय बीएड में किसी भी एक वर्ष) किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. निर्णय की अनुपालना में सत्र 2023-24 के वार्षिक परीक्षा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उक्त स्काउटिंग एवं गाइडिंग कोर्स किये जाने की अनिवार्यता के मेण्डेटरी फील्ड को हटा लिया गया है।

भवदीय  
13/3/2024  
कुलसचिव (प्रभार)

प्रतिलिपि :-

1. वित्त नियंत्रक, गो.गु.ज.वि. बांसवाड़ा।
2. परीक्षा नियंत्रक, गो.गु.ज.वि. बांसवाड़ा।
3. सी.ओ. स्काउट/गाइड, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड एवं हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड, बांसवाड़ा/डूंगरपुर/प्रतापगढ़।
4. निजी सचिव, माननीय कुलपति।
5. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव (प्रभार)